

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 246 / 15
 संस्थापन दिनांक:-14 / 05 / 15
 फाईलिंग नं. 233504003002015

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. मन्सू पिता मुन्नालाल यादव, उम्र 40 वर्ष
2. राजू पिता मन्सू यादव, उम्र 23 वर्ष
3. चिन्टू पिता मुन्नालाल यादव, उम्र 50 वर्ष
 तीनों निवासी लाखापुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28.04.2015 को समय 10:00 बजे या उसके लगभग जामुन के पेड़ के पास लाखापुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी गज्जू यादव को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी गज्जू यादव को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय निर्मित किया और उसकी पूर्ति में फरियादी गज्जू यादव को लकड़ी, लात जूतों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी गज्जू को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 28.04.2015 को रात करीब 10 बजे उसके खेत से घर जा रहा था तभी जामुन के पेड़ के पास अभियुक्तगण ने उसे मां बहन मादरचोद, की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसके साथ लकड़ी, लात, जूतों से मारपीट की जिससे उसे चेहरे, पीठ, दांहिने हाथ की कोहनी पर चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसे थाने पर रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 229/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, मौका

नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी गज्जु यादव को लकड़ी, लात जूतों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-294, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के आरोप प्रमाणित नहीं माने जा सकते।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

6 गज्जु (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त राजू मनसू एवं चिंटू ने उसके लकड़ी एवं हाथ से मारपीट किया था जिससे उसे कमर और चेहरे पर चोट आयी थी। उसका मेडिकल मुलाहिजा भी हुआ था।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 29.04.2015 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत गज्जु का परीक्षण किये जाने पर आहत की दाहिनी आंख के पास 2 गुणा 1 सेमी आकार की सूजन एवं बांयी आंख के पास 3 गुणा 1 सेमी आकार की सूजन तथा आहत की बांयी कोहनी के जोड़ पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच एवं दाहिनी भुजा पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-5) को प्रमाणित किया है।

8 डी.एस. पठारिया (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 29.04.2015 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 229/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 30.04.2015 को मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6, प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र फरियादी की साक्ष्य उपलब्ध है जिसके कथनों में विरोधाभास है। अतः अभियोजन कथा को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी केशव (अ.सा.-2)

ने घटना का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी शिवप्रसाद (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि घटना ग्राम लाखापुर में पप्पू की दुकान के बाजू की है। दुकान पर झगड़ा हो रहा था वह गया और जाकर बीच बचाव किया। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष में गवाह देने से बचता है। अतः साक्षीगण के समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत उत्तरप्रदेश **राज्य विरुद्ध अनिल सिंह (1988) पूरक एससीसी 686** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रकरण अन्य दृष्टि से सिद्ध व स्वीकार योग्य है तो प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन के अभाव पर अभियोजन मामले को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही अभिमत **म.प्र. राज्य विरुद्ध छगनलाल 2003 (1) जे.एल.जे. 362** में भी लिया गया है। अतः प्रकरण में फरियादी गज्जू (अ.सा.-1) के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

11 गज्जू (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना ग्राम लाखापुर में बंगाली के घर के छत की रात के लगभग 10 बजे की है। वह छत पर अकेला बैठा हुआ था, तभी अभियुक्त राजू ने पीछे से लकड़ी से वार किया, फिर उसका पिता अभियुक्त मनसू आया और उसने भी लकड़ी और हाथ से मारा, फिर अभियुक्त चिंटू आया और उसने भी हाथ से मारपीट की। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि तीनों अभियुक्तगण इकट्ठे आये थे और उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसे चेहरे एवं कमर में चोट आयी थी।

12 गज्जू (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि अभियुक्तगण से उसका जमीनी विवाद है। साक्षी ने यह भी बताया है कि पहले उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध मारपीट का केस लगाया था फिर दूसरे दिन अपनी पत्नी को ले जाकर अभियुक्त मनसू के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की थी। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौच नहीं किया था। उसका अभियुक्तगण के साथ केवल वाद विवाद हुआ था। वह लेंटर से गिर गया था जिससे उसे चोट लगी थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी अभियुक्तगण से पुरानी रंजिश है और वह यह चाहता है कि अभियुक्तगण जेल जायें इसलिए उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी।

13 अभियोजन कथा अनुसार घटना रात के लगभग 10 बजे की है। जब फरियादी घर की तरफ आ रहा था तब अभियुक्तगण ने पुरानी बात पर से गाली देकर लकड़ी और लात जूतों से उसके के साथ मारपीट किया था जिससे उसके चेहरे, पीठ एवं हाथ पर चोट आयी थी। न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी

गज्जु (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। साथ ही फरियादी प्रतिपरीक्षण में अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य एवं स्वतंत्र साक्षियों से समर्थित नहीं है। स्वयं फरियादी गज्जु (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह लेंटर से गिर गया था जिससे उसे चोटें आयी थी तथा अभियुक्तगण से मात्र वाद विवाद हुआ था। तब उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी गज्जु यादव को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय निर्मित किया और उसकी पूर्ति में फरियादी गज्जु यादव को लकड़ी, लात जूतों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी गज्जु को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त मन्सू, राजू एवं चिन्टू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)